

ता. का पता: "मिनीस्टील"

Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सं० \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
इस्पात मंत्रालय  
MINISTRY OF STEEL  
उद्योग भवन  
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107

New Delhi-110107

31016/3/2012-सा.प्र.

दिनांक 21.6.2012

सेवा में,

मै. M.K.Pest Control & Services,  
J-40, East Vinod Nagar,  
दिल्ली-110091

विषय:- इस्पात मंत्रालय में कीट -नियन्त्रण पेस्ट कन्ट्रोल एवं टाईल सफाई का अनुबन्ध किए जाने के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके निविदा पत्र दिनांक 11.06.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा दी गई दरें पेस्ट कन्ट्रोल 50/-paise प्र.वर्ग.फुट एवं टाईल सफाई 1.20/- प्र.वर्ग.फुट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है । अनुबन्ध की अवधि 25.06.2012 से 31.03.2013 तक है । यदि आप इस अनुबन्ध को संलग्न शर्तों के साथ स्वीकार करते हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर अपनी स्वीकारोक्ति हमें अवश्य भेज दें ।

2. यह पत्र समक्ष प्रधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अलगाव का उपरोक्तानुसार

NZC n/o Steel

भवदीय,  
(सरेन्द्र कुमार गुप्ता)  
अवर सचिव, भारत सरकार

हिन्दी का प्रयोग उपेक्षित नहीं है, पत्र का उत्तर शीघ्र दिया जायेगा।

दिनांक 25.6.12.

शर्त:-

1. कीटनाशिक दवाई का छिडकाव कक्षो, गलियारो एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा
2. अनुबंधकर्ता फर्म को कीटनाशी छिडकाव से सम्बंधित सभी मशीने एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओ/पदार्थो के नामो का उल्लेख करना होगा ।
3. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रो को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे । किसी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रालय द्वारा वहन नही किया जायेगा ।
4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नही पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उत्तरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा ।
5. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रूपये का डिमाड ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तो का उल्लघन करने पर इसका हर्जाना फर्म भरना होगा ।
6. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।
7. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।
8. अनुबंध की अवधि अनुबंध की अवधि अनुबंध पत्र देने की तारीख से 31.03.2013 तक के लिये होगी ।
9. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।
10. यह छिडकाव निर्देश अनुसार कार्य दिवस पर साये अथवा छुट्टीयो के दिन/शनिवार आदि को कार्यलय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा । प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिडकाव हो जाये ।
11. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा ।
12. फर्म के पास इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि कानूनन आवश्यकता हो तो ।
13. फर्म को एक प्रमाण देना होगा कि वह अन्य किसी भी मंत्रालय/विभाग में इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत दरों से कम दरों पर कार्य नही कर रही है ।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता/S. K. GUPTA  
 अवर सचिव/Under Secretary  
 इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel  
 भारत सरकार/Govt. of India  
 नई दिल्ली/New Delhi